सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/156

1. बाबूलाल पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी निवारिया, तहसील देवली, जिला टोंक, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. महेश गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी ए–27 देना बैंक वाली गली, अम्बावाडी, चौमू पुलिया, झोटवाडा, रोड, जयपुर, राजस्थान।
2. कुलवन्त कौर पत्नी श्री जी0एस0 चान्दना जाति सिक्ख निवासी–317 आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान।
3. रामकिशोर गुप्ता पुत्र श्री बद्रीनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी बी–142, जनता कॉलोनी, मेन्टल हॉस्पिटल के सामने, जयपुर, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
5. श्रीमान उप पंजीयक सांगानेर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी निवारिया, तहसील देवली, जिला टोंक, राजस्थान।
7. छोटी पत्नी हनुमान
8. मेघराज पुत्र हनुमान
9. अजय पुत्र हनुमान

   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. सोनिका पत्नी कालूराम पुत्री हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 : श्री संजय जैन
अप्रार्थी/वादी :– श्री नरोत्तम वर्मा

निर्णय अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सी0पी0सी
(मूलवाद बाबत् घोषणा, व सथाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—10.02.2025

मूलवाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से पेश किये जाने पर दिनांक 19.07.2024 को दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेश किया गया जिसका वृतांत विवरण निम्न प्रकार से है :— विवादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 532 रकबा 0.67 हैक्टेयर जिसके गत खसरा नम्बर 359 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम पालडी मीणा पटवार हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी बाबत पूर्व में न्यायालय द्वारा एक अन्य वाद जगदीश बनाम महेश वाद क्रमांक 40/2012 दिनांक 22/3/2021 को निर्णित किया जा चुका हैं। उक्त वाद में विचाराधीन आराजी बाबत वादी के भाई जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 6 है ने विवादग्रस्त आराजी वादकारण उत्पन्न होने की दिनांक 15/3/2012 दर्ज की हैं, जो उक्त वाद के पैरा संख्या 5 में अंकित हैं। उक्त आधार पर ही उक्त वाद प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हैं, तथा उक्त आराजी बाबत् स्वयं वादी ने एक वाद सिविल न्यायालय में उनवानी बाबूलाल बनाम महेश वाद क्रमांक 150/2019 बाबत् विक्रय पत्र दिनांक 11/6/1970 उक्त विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें उक्त आराजी बाबत् वादी ने वादकारण दिनांक 15/8/2018 दर्ज हैं, जो उक्त वाद के पैरा संख्या 4 में उल्लेखित हैं, तथा सुयोग्य न्यायालय के समक्ष उक्त वर्णित वाद में वादी ने वादकारण उत्पन्न होने का उल्लेख दिनांक 31/3/2024 का उल्लेख किया है जो वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में अंकित हैं। उक्त तथ्य वादी द्वारा एवं वादी के तथाकथित भाई प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत दावो से स्पष्ट है कि वादी का उक्त वाद अवधि बाधित वाद है जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व शिड्यूल तृतीय के आईटम संख्या 23 सी के अनुसार अवधि बाधित वाद है जो बार्ड बाई लॉ तथा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी के द्वारा अपने सिविल वाद बाबूलाल बनाम महेश वाद संख्या 150/2019 जो उक्त आराजी बाबत् ही है में उल्लेखित वादकारण दिनांक 15/8/2018 जो वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में दर्ज है को ही वादकारण उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है तथा बसाजिशान प्रस्तुत वाद को अन्दर मियाद शुमार करने की गरज से वाद के खण्ड संख्या 6 में वादकारण दिनांक 31/3/2024 दर्ज किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि सारे तथ्य मनगढंत एवं बनावटी दर्ज किये गये हैं। वास्तविकता में वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है वादकारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त विवादग्रस्त आराजी बाबत सुयोग्य न्यायालय द्वारा एक वाद जगदीश बनाम महेश वाद संख्या 40/2012 निर्णय दिनांक 22/3/2021 को निर्णित किया जा चुका है तथा बादी का वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर धारा 11 जाप्ता दीवानी के अनुसार बाधित वाद हैं। वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। विवादग्रस्त आराजी पर वादी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है सारे तथ्य मनगढंत व बनावटी दर्ज किये गये हैं उक्त आराजी गत खसरा नम्बर 359 वर्तमान खसरा नम्बर 529 प्रार्थी के पूर्व हक अधिकारी वेदप्रकाश जी के पक्ष में उक्त खसरा नम्बर में से 1111.27 वर्गगज भूमि मौका निरीक्षण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

कर भू–रूपान्तरण नियमितिकरण विशेषाधिकारी जयपुर के द्वारा दिनांक 30/12/1975 आदेश क्रमांक 119/72/एस.ओ.डी/1731 को रूपान्तरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण आराजी की किस्म कृषि भूमि की नही रही हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सुयोग्य न्यायालय को नही रहा है। उक्त वाद को वादी प्रमुखता से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आधार बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि ऐसा कोई हस्तान्तरण है तो भी विक्रय करने वाले व्यक्ति अथवा उसके परिवार को उक्त आराजी में कोई अधिकार शेष नही रहेगें, क्योंकि उन्होंने विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर अपने अधिकारों का पर्यावशरण कर लिया है तथा उक्त विक्रय राज्य सरकार व क्रेता पक्ष के मध्य का विषय है अर्थात वादी को उक्त आराजी में कोई अधिकार शेष नही है तथा इस बाबत् धारा 175 की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई, जिसका मुकदमा नम्बर 66/1976 निर्णय दिनांक 13/12/1976, द्वारा उक्त हस्तान्तरण जो प्रार्थी संख्या 1 के पूर्व हक अधिकारी के पक्ष में किया गया था पूर्ण रूप से वैध माना गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादी को अथवा सरकार को उक्त विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार शेष नही रहे हैं केवल मात्र प्रार्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की गरज से समय समय पर भिन्न भिन्न न्यायालयो में उक्त आशय की कार्यवाही सम्पादित की जाती रही हैं, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में कब्जे बाबत कोई उल्लेख नही किया है बादी का वाद अपूर्ण व अस्पष्ट तथ्यों व कब्जे व कब्जे की दादरसी के अभाव में पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी को विरुद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ तथा जिस वाक्या का वह अपने वाद पत्र के खण्ड में उल्लेख कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वादी को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ और वादकारण के अभाव में वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 6 जगदीश द्वारा जो पूर्व में वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद में प्रस्तुत वाद के वादी बाबत् कोई उल्लेख नही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी जगदीश का भाई नहीं है अर्थात् जग्गा का पुत्र नही हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क्षेत्राधिकार से परे व विधि विरुद्ध व अपूर्ण व अस्पष्ट होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि : प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक अन्य वाद जगदीश बनाम महेश वाद क्रमांक 40/2012 दिनांक 22.03.2021 को निर्णित करने के संबंध में इन्द्राज किया है जिसकी जानकारी वादी को नहीं है। वादी को उक्त वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही वादी को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी है ना ही वादी के द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे वाद के किसी भी कथन से वादी के उक्त वाद पत्र का कोई लेना देना नहीं है। वादी के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश में उनवानी वाद बाबू लाल बनाम महेश प्रस्तुत किया हुआ है जिसके अनुतोष प्रश्नगत वाद से भिन्न है और वादी को सभी वाद कारण के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा जब जब भी कोई नया वादी के अधिकारों के प्रति कार्य किया जाता है तो वादी को नया वाद कारण प्राप्त होता है। इसलिए वाद में वादी के द्वारा सिविल दावे में वर्णित वाद कारण के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

कारण या उसी वाद कारण को पुनः वर्णित नहीं करने के आधार पर उक्त दावा प्रस्तुत करने से बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र वादी के सिविल अधिकारों के प्रति है तथा उक्त वाद पत्र राजस्व अधिकारों के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा वाद पत्र संख्या 40/2012 प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उक्त बाद पत्र उनवानी जगदीश बनाम महेश वाद संख्या 40/2012 निर्णय दिनांक 22.03.2021 का निर्णय मेरिट के आधार पर निर्णित ना होकर मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वाद खारिज किये जाने के कारण से वादी पाबंद नहीं है। इसलिए रेसजुडिकेय का प्रावधान वादी पर लागू नहीं है। वाद में वर्णित खसरा नम्बर 359 वर्तमान खसरा नम्बर 532 के संबंध में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के द्वारा खसरा नम्बर 529 के संबंध में इन्द्राज किया गया है इससे वादी का कोई लेना देना नहीं है। वादी के पूर्वजों के नाम से पूर्व में खसरा नम्बर 532 की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है और आज दिनांक तक मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने तथा कृषि कार्य होने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वादी के द्वारा उपरोक्त कृषि आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार का कोई विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं किया ना ही प्रतिवादी संख्या ने वादी को किसी प्रकार का कोई विक्रय प्रतिफल दिया। इसलिए वादी का वाद पत्र पोषणीय है तथा प्रतिवादी के द्वारा मुकदमा संख्या 66/1976 निर्णय दिनांक 13.12.1976 का वर्णन किया है इसमें स्पष्ट वर्णन नहीं किया कि कौनसा ग्राम व तहसील आराजी के संबंध में है निर्णय पारित किया गया, जो निर्णय वादग्रस्त आराजी के संबंध में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र कृषि आराजीयात से सम्बन्धित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 7 में दिनांक 31.03.2024 वर्णित किया है जिससे वादी को नया कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हो गया इसलिए वाद पत्र पोषणीय है वादी को जगदीश के द्वारा प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं है। ना ही वादी उक्त वाद पत्र में पक्षकार था। इसलिए वादी के द्वारा उपरोक्त तथ्य का वर्णन करना आवश्यक नहीं था। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाये।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की मौखिक बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का विवेचन किया। अप्रार्थी/वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अपने जवाब में वर्णित तथ्यो का विवेचन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की मौखिक बहस व अप्रार्थी/वादी की लिखित बहस का अवलोकन कर, दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत पेश किय गया है। उक्त आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानानुसार कोई भी वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगाः–

(क) जहॉ वाद–हैतुक प्रकट नही करता है।
(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(ड़) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।
(च) जहां वादी नियत 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

उक्त आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों में से प्रार्थी मुख्य रूप से इस आधार पर वाद को खारिज करने का निवेदन किया है :
(क) जहॉ वाद पत्र वाद हैतुक प्रकट नहीं करता है।
(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पैतृक आराजीयात में घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी का यह तथ्य सही है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी बाबत पूर्व में न्यायालय द्वारा एक अन्य वाद जगदीश बनाम महेश वाद क्रमांक 40/2012 दिनांक 22/3/2021 को निर्णित किया जा चुका हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी का यह तथ्य भी सही है कि अप्रार्थी/वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 6 में वादकारण की दिनांक 31.03.2024 अंकित की है तथा यह तथ्य भी सही प्रतीत होता है कि वादी बाबूलाल ने सिविल वाद बाबूलाल बनाम महेश वाद संख्या 150/2019 जो उक्त आराजी बाबत् ही है में उल्लेखित वादकारण दिनांक 15/8/2018 अंकित किया है क्योकि स्वयं वादी बाबूलाल ने प्रार्थना पत्र के जवाब में स्वीकार किया है कि वादी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष उक्त प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस वाद व सिविल वाद के अनुतोषों को भिन्न बताया है लेकिन वाद कारण के बारे में किसी प्रकार का विवेचन नही किया है जिससे यही जाहिर होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वाद कारण की जानकारी अंकित की है वह सही है जिससे स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में वादकारण दिनांक 31/3/2024 दर्ज किया गया है जो बनावटी व असत्य प्रतीत होती है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अप्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजीयात को अपने पिता जग्गा की आराजीयात बताया है और प्रतिवादी संख्या 6 जगदीश को जग्गा का पुत्र बताया है जबकि जगदीश पुत्र जग्गा ने अपने जवाब में यह तथ्य बताये है कि वादी मिन उत्तरदाता जगदीश का सगा भाई नही है ना ही जग्गा पुत्र हुरजा का जायन्दा पुत्र है। और इस तथ्य के बोर में की वादी जग्गा का पुत्र है या नही अप्रार्थी/वादी ने ना तो अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में ना ही लिखित बहस में कोई उल्लेख किया है जिससे यह तथ्य सन्देहाषप्रद है। तथा वादग्रस्त आराजीयात कि किस्म में भी परिवर्तन हुआ है जो भू–रूपान्तरण नियमितिकरण विशेषाधिकारी जयपुर के दिनांक 30/12/1975 आदेश क्रमांक 119/72/एस.ओ.डी/1731 से स्पष्ट है जिससे न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। अप्रार्थी/वादी का वादपत्र में मुख्य तर्क यह है कि वादी अनुसूचित जनजाति को सदस्य जाति से मीना है। वादी के पिता अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश व गरीब तकबे के अनुसूचित जनजाति के सदस्य जाति से मीना थे जिनकी बदहाली की दशा का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी एक के पूर्वज सत्यवति के पति वेद प्रकाश द्वारा उन्हें षडयंत्र पूर्वक गुमराह कर जाति मीना से ईसाई धर्म से कागजी तौर पर परिवर्तन करा विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

व अंकन पत्नी के नाम करवा लिया एवं विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकन करवा लिया। उक्त विवादित आराजीयता का अवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकन अनुसूचित जन जाति के सदस्य मीना से स्वर्ण जाति महाजन को हुआ है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी व संविदा एक्ट 1872 की धारा 23 की धारा 23 कि विधिक प्रावधान के कारण विधि से निषेध होने से प्रारम्भ से ही नल एण्ड वाईड है। इस बिन्दू के बारे में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में कथन किया है कि धारा 175 की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई, जिसका मुकदमा नम्बर 66/1976 निर्णय दिनांक 13/12/1976, द्वारा उक्त हस्तान्तरण जो प्रार्थी संख्या 1 के पूर्व हक अधिकारी के पक्ष में किया गया था पूर्ण रूप से वैध माना गया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी/वादी का वाद अस्पष्ट, असत्य है जिसमें तथ्य व विधि का कोई प्रश्न समाहित नही है। न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एव विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण का वाद तुच्छ एव परेशान करने वाला है। इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये। न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2019 (3) पेज 946 एंव डी. एन.जे. (एस.सी.) 2019 डी.एन.जे. 2017 (1) में माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि वादीगण का वाद तुच्छ और परेशान करने वाला है. जिसको प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिये।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner